भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3356

(दिनांक 23.03.2022 को उत्तर के लिए)

अनारक्षित पद को आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को दिया जाना

3356. श्री अशोक कुमार रावत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूएस) में अनारक्षित पदों के लिए आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को वैसे मामलों में नौकरी प्रदान करने के लिए कोई कदम उठानें का प्रस्ताव किया है जिन मामलों में कोई अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की तुलना में समान या उच्च अंक प्राप्त करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग): आर. के. सभरवाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य शीर्षक वाली रिट याचिका (सिविल) संख्या 79/1979 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 10.02.1995 के निर्णय के अनुसरण में आरक्षित श्रेणी के ऐसे व्यक्ति आरक्षण रोस्टर में अनारक्षित बिंदुओं (प्वाइंट्स) को प्राप्त करते हैं जिनकी नियुक्ति आरक्षण के आधार पर न होकर मेरिट के आधार पर होती है।

*****